समापण भाषण

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधान सभा का एकादश सत्र दिनांक-12 फरवरी, 2024 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 01 मार्च, 2024 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल ग्यारह बैठकें हुई । सत्र के प्रथम दिन दिनांक 12 फरवरी, 2024 को महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान मंडल के एक साथ समवेत बैठक में दोनों सदनों के सदस्यों को विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल में संबोधित किया गया एवं अन्य बैठकें सभावेश्म में हुई । सप्तदश बिहार विधान सभा के दशम सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित 06 (छः) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया । उसी दिन प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति भी सदन पटल पर रखी गयी । कुल-10 (दस) जननायकों के निधन के प्रति शोक व्यक्त किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी । उसी दिन सदन में तत्कालीन माननीय अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी जी को पद से हटाये जाने संबंधी संकल्प का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । विमर्शोपरान्त यह संकल्प मत विभाजन की प्रक्रिया के आधार पर स्वीकृत हुआ और तत्कालीन माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा अध्यक्ष पद से मुक्त हुए ।

दिनांक 12 फरवरी, 2024 को ही सदन में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा विश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । विमर्शोपरान्त यह प्रस्ताव भी मत विभाजन की प्रक्रिया के आधार पर स्वीकृत हुआ और सभा द्वारा वर्त्तमान राज्य मंत्रिपरिषद् में विश्वास व्यक्त की गई ।

दिनांक 13 फरवरी, 2024 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक विवरण को सदन में उपस्थापित करते हुए बजट भाषण दिया गया । उसी दिन महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रारंभ हुए वाद-विवाद पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया तत्पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 15 फरवरी, 2024 को आसन द्वारा सदन नेता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार तथा विरोधी दल के नेता के रूप में माननीय सदस्य, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम की घोषणा की गई । इसी दिन सर्वसम्मति से बिहार विधान सभा के नये अध्यक्ष निर्वाचित हुए ।

दिनांक 19 फरवरी, 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर हुए सामान्य विमर्श पर प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया ।

दिनांक 21 फरवरी, 2024 को आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि दिनांक 21 फरवरी, 2024 के पूर्वाह्न से श्री महेश्वर हजारी, उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने उपाध्यक्ष पद का त्याग कर दिया गया है । साथ ही बिहार विधान सभा में उपाध्यक्ष के रिक्त पद पर उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए दिनांक-23 फरवरी, 2024 की तिथि निर्धारण से सदन को अवगत कराया गया ।

दिनांक 22 फरवरी, 2024 को सभा सचिव द्वारा माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश MP/MLA, Bhojpur, Ara द्वारा session Trial No. 123/2019 (Azimabad P.S. Case No.51/2015) में पारित न्याय निर्णय के आलोक में सप्तदश बिहार विधान सभा के माननीय सदस्य, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0जा0) के विरूद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश के परिणामस्वरूप जन प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-8 तथा संविधान के अनुच्छेद 191(1)(e) के प्रावधानों के तहत श्री मनोज मंजिल, स०वि०स० के दोषसिद्धि की तिथि अर्थात् दिनांक-13.02.2024 के प्रभाव से बिहार विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित होने की सूचना से सदन को अवगत कराया गया ।

दिनांक-23 फरवरी, 2024 को सर्वसम्मति से माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र नारायण यादव जी बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए । साथ ही प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया । उसी दिन वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक से संबंधित चार अनुदानों की माँगे सदन में विमर्श के उपरान्त स्वीकृत हुए एवं आय-व्ययक में सम्मिलित शेष अनुदानों की माँगे गिलोटिन (मुखबंध) के द्वारा स्वीकृत हुए । तदुपरान्त संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 27 फरवरी, 2024 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुई एवं शेष माँगे गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुईं । तत्पश्चात संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

दिनांक-28 फरवरी, 2024 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 के प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' की प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा प्रतिवेदनों को बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य होने का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हुआ। उसी दिन प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के परिणाम बजट, बाल कल्याण बजट, जेण्डर बजट एवं हरित बजट पुस्तिकाओं की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी। साथ ही सदन द्वारा बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में सदस्यों के मनोनयन के लिए अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को अधिकृत किया गया तथा इन समितियों में बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यों के नाम भेजे जाने संबंधी प्रस्ताव पर भी सदन की सहमति हुई।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :

(1) बिहार विनियोग विधेयक, 2024
(2) बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2024
(3) बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024
(4) बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक, 2024
(5) बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्त्तन विधेयक, 2024
(6) बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2024
(7) बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024
(8) बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024
(9) बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024
(10) बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024
(11) बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024
(12) बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024

अध्यक्ष : सत्र के दौरान कुल-2467 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 1931 प्रश्न स्वीकृत हुए । इन स्वीकृत 1931 प्रश्नों में कुल-41 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 38 के उत्तर प्राप्त हुए । कुल-1506 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 1282 के उत्तर प्राप्त हुए । साथ ही 384 प्रश्न अतारांकित हुए ।

इस सत्र में कुल-168 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें 20 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए, 146 सूचनाएं लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये तथा 02 अमान्य हुए ।

इस सत्र में कुल-320 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 315 स्वीकृत हुए एवं 05 अस्वीकृत हुए । कुल-157 याचिकाएं प्राप्त हुई, जिनमें 146 स्वीकृत एवं 11 अस्वीकृत हुई । इस सत्र में कुल-106 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई ।

इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के कतिपय मामले उठाये गये एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, नियमावली, अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधान सभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

माननीय सदस्यगण, सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीब उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं हृदय से आभारी हूँ ।

समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया है, इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब बिहार राज्य गीत होगा । कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ।

(बिहार गीत)

कृप्या बैठ जाएं ।

माननीय सदस्यगण, हर्ष, उल्लास, भाईचारा एवं आपसी सौहार्द्र का पर्व होली आसन्न है । इस अवसर पर आप सभी माननीय सदस्यों के साथ सम्पूर्ण बिहारवासियों को सदन की ओर से मैं होली की शुभकामनाएँ देता हूँ । मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह त्योहार समस्त बिहार के लोगों के जीवन में खुशहाली लाएगा । साथ ही महाशिवरात्रि एवं रामनवमी त्योहार के लिए भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और पूरे प्रान्त में आपसी सौहार्द्र बना रहे, यह कामना करता हूँ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।

....